

संख्या-1919/एक-10-2023-12(34)/2003 टीसी-1

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

गोरखपुर, महोबा, श्रावस्ती, देवरिया, गाजीपुर, खीरी, सुलतानपुर, चित्रकूट, हरदोई, बदायूँ एवं मथुरा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 दिसम्बर, 2023

विषय: वर्ष 2023-24 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023-24 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 10.10.2022 द्वारा जारी गाइड लाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय एवं अलाव जलाने के लिये ₹0 9,73,64,000/- (रूपये नौ करोड़ तिहत्तर लाख चौंसठ हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 0सं	नाम	पूर्व में शासनादेश दि 0 17.11.द्वारा 2023 कृत धनराशिस्वी	कम्बल क्रय हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अलाव हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	38.50	281.80	-	281.80
2	महोबा	16.50	64.47	-	64.47
3	श्रावस्ती	16.50	75.20	1.50	76.70
4	देवरिया	27.50	74.00	-	74.00
5	गाजीपुर	38.50	63.70	-	63.70
6	खीरी	35.00	90.02	-	90.02
7	सुलतानपुर	25.00	23.50	-	23.50
8	चित्रकूट	20.00	63.41	-	63.41
9	हरदोई	25.00	109.52	-	109.52
10	बदायूँ	27.50	87.00	-	87.00
11	मथुरा	27.50	39.52	-	39.52
योग -					973.64
(रूपये नौ करोड़ तेहत्तर लाख चौंसठ हजार मात्र)					

- (1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1376/एक-10-2023-12(34)/03 टी0सी0-1 दिनांक 05.10.2023 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) आपूर्तित संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा, जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।
- (3) उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहरी से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने जैसी यथोचित कार्यवाही की जाए।
- (4) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।
- (5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा बिना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।
- (6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजरो में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरुष/महिला, निराश्रित एवं आसहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।
- (7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु, भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के अभाव न हो।
- (8) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेबसाइट के साथ ही राहत की वेबसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।
- (9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।
- (10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में बिना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हों।
- (12) कम्बलों का वितरण एवं अलाव जलाने की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
- (13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231- /2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
सचिव।

संख्या- 1919(1)/एक-10-2023-12(34)/03 टीसी-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट
- 8- एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, उ0प्र0।
- 10- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-26/12/2023

प्रेषण संख्या:- 1919
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1919
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3952000 6702000	3952000 6702000
2	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8700000 11450000	8700000 11450000
3	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6370000 10220000	6370000 10220000
4	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	28180000 32030000	28180000 32030000
5	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7400000 10150000	7400000 10150000
6	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10952000 13702000	10952000 13702000
7	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9002000 12852000	9002000 12852000
8	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2350000 5100000	2350000 5100000
9	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6447000 8097000	6447000 8097000
10	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7670000 9320000	7670000 9320000
11	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6341000 8541000	6341000 8541000
	योग	वर्तमान प्रगामी	97364000 128164000	97364000 128164000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ तिहत्तर लाख चौसठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बारह करोड़ इक्यासी लाख चौसठ हजार

(जानूरी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन